संख्या-429/22-2-2015-17(89)/2015

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक: 03 जुलाई, 2015

विषय:- प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत मुक्त होने वाले सीमित सजा से दण्डित बन्दियों के प्रार्थना-पत्र (फार्म-ए)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-8489/पर-3(एम-03-03-2015) दिनांक 16-03-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी **राजीव कुमार (बन्दी संख्या-247/11) पुत्र श्री कालीचरन, निवासी, ग्राम-कनगवां, थाना-बीसलपुर, जिला-पीलीभीत के** फार्म-ए पर **यू0पी0** प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेंस पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गई है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-429/(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-429/22-2-2015-17(89)/2015

दिनांक 03 जुलाई, 2015 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी **राजीव कुमार (बन्दी संख्या-247/11) पुत्र श्री कालीचरन, निवासी, ग्राम-कनगवां, थाना-बीसलपुर, जिला-पीलीभीत** की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in